

SIMI पर प्रतिबंध बढ़ा

सरोत: इकॉनोमिक टाइमस

एक <u>न्यायिक अधिकरण</u> ने स्टू<u>डेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)</u> पर लगाए गए प्रतिबंध को पाँच वर्ष के लिये बढ़ा दिया है।

- इसमें कहा गया है कि संगठन ने इस्लाम के लिये 'जेहाद' के अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा है और यह भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हेतु कार्य करना जारी रखेगा।
- उक्त अधिकरण का गठन विधिविरिद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत किया गया था।
 - UAPA का उद्देश्य भारत की **संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा** को खतरा पहुँचाने वाली गैरकानूनी गतविधियों को रोकना तथा उनका मुकाबला करना है।
- UAPA के प्रावधानों के तहत SIMI को "गैरकानूनी संगठन" घोषति करने की सिफारिश 10 राज्य सरकारों ने की है।
- SIMI को पहली बार वर्ष 2001 में गैरकानूनी घोषति किया गया था और तब से प्रतिबंध को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
- SIMI की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जमात-ए-इस्लामी-हदि (JEIH) से जुड़े एक युवा समूह के रूप में की The Vision गई थी, जो वर्ष 1993 में स्वतंत्र हो गया।

और पढ़ें: गैर-कानुनी गतविधियाँ रोकथाम अधनियम का आकलन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ban-on-simi-extended